न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक : 16/518

सुमनलता आयु 40 वर्ष पत्नी प्रेमचन्द जाति रेगर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू आयु 55 वर्ष आत्मज भूरा जाति बैरवा निवासी बैरवा का झोंपडा रघुनाथपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राधाकिशन आयु 65 वर्ष आत्मज भूरा जाति बैरवा निवी बैरवा का झोंपडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील नैनवा में प्रार्थी राधाकिशन के खाते व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 925 रकबा 07 बीघा भूमि स्थित है तथा प्रार्थी बाबू के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 610/924 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 1118 नवरतन माली के खेत के पूर्वी साइड में सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1111 के अन्दर होकर सुमनलता पत्नी प्रेमचन्द रेगर के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 4864/1116 की पूर्वी मेर के सहारे होकर आगे के पूर्वी कौने से मुडकर उत्तरी मेर के सहारे होकर पश्चिम दिशा में आगे खसरा नम्बर 1116 सरकारी भूमि में होकर प्रार्थी अपने खेत पर पहुंचता है यह रास्ता 15 फुट चौडा है । प्रार्थी के खाते की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 4864/1116 की तथा खसरा नम्बर 1116 की जितनी भी भूमि रास्ते में आयेगी उसकी डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने को तैयार है ।

का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते को जिसे नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है जिसे नक्शा शीट में लाल स्याही से तरमीम का आदेश पारित किया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1164/1116 खातेदारी के खेत में होकर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने का आदेश पारित किया और उक्त भूमि की डी0एल0सी0 रेट का दुगुनी राशि राजकोष में जमा कराने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त भूमि जिस पर होकर रास्ता निकाला है वह अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में जिस भूमि पर होकर रास्ता दिया है वह अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार होना साबित है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थित में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी जिससे वह अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.10.2016 को रेस्पोडेन्ट द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 4864/1116 की खातेदार कृषक है जिसको रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार नहीं बनाया गया है उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । रेस्पोडेन्ट का कोई रास्ता अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 4864/1116 में होकर अथवा उक्त आराजी के पूर्वी मेर के सहारे होकर अथवा उक्त भूमि की पूर्वी कोने से मुडकर उत्तरी मेरे के सहारे पश्चिम दिशा में आगे खसरा नम्बर 1116 सरकारी भूमि में हांकर रेस्पोडेन्ट के खेतों में पहुंचने का कभी भी रास्ता नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके उक्त अपीलान्ट की भूमि में होकर नया रास्ता बनाने व नक्शा ट्रेस में लायल स्याही से तरमीम करवाने की गरज से ही असत्य तथ्यों

यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार की आराजी 4864/1116 के सहारे बिलकुल मेड पर ही वन विभाग की दीवार खीची हुई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1116 की भूमि में से रास्ता बताया गया है जबकि खसरा 1116 मे पूर्व में भी वन विभाग द्वारा पक्की दीवार बना दी गई है । पटवारी हल्का एवं कानूनगो द्वारा जबरन व अवैधानिक रूप से अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता बताया गया है एवं रेस्पोडेन्ट जबरन ताकत के बल पर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके मौके पर रास्ता निकालने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । रेस्पोडेन्टगण के खाते व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 925 रकबा 07 बीघा एवं खसरा नम्बर 610/924 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए रेस्पोडेन्ट को आराजी खसरा नम्बर 1118 नवरतन माली के खेत के पूर्वी साइड में सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1111 के अन्दर होकर सुमनलता पत्नी प्रेमचन्द रेगर के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 4864/1116 की पूर्वी मेर के सहारे होकर आगे के पूर्वी कौने से मुडकर उत्तरी मेर के सहारे होकर पश्चिम दिशा में आगे खसरा नम्बर 1116 सरकारी भूमि में होकर रेस्पोडेन्ट अपने खेत पर पहुंचते है यह रास्ता 15 फुट चौडा है । रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पुर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

13. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता निकलाने का आदेश पारित करवा लिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है । उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि थी और उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 निरस्त किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पक्ष समर्थन स्वीकार है।